

तुरंत/अति आवश्यक

प्रेषक

उपायुक्त, रोहतक।

सेवा में

जिला के सभी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।

क्रमांक 3959-4020एम.बी.

दिनांक 16-03-2020


विषय:

Regarding taking preventive measures to control the spread of COVID-19.

यादी

इस सम्बन्ध में जैसा कि आपको विदित है कि भारत सरकार द्वारा विषयाधीन बिमारी को महामारी घोषित की हुई है चूंकि इस बिमारी की रोकथाम ही ईलाज है और इसकी रोकथाम के लिए केवल स्वच्छता ही एक मात्र उपाय है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सभी अपने-2 कार्यालयों में निम्नानुसार स्वच्छता उपाय करना सुनिश्चित करें ताकि इस बिमारी को फैलने से रोका जा सके:-

1. अपने-2 कार्यालयों में शौचालयों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये।
2. अपने-2 कार्यालयों में प्रतिदिन सैनिटाईजर का छिड़काव करवाना सुनिश्चित करें।
3. सभी कर्मचारियों निर्देशित करें कि वे सैनिटाईजर अथवा साबुन से बार-2 अपने हाथों को धोवें।
4. सभी कर्मचारियों को जागरूक किया जाये कि वे खाँसते/छिकते समय कपड़े/रूमाल का प्रयोग करें तथा इस सम्बन्ध में अपने घर के प्रत्येक सदस्य को भी जागरूक करें।
5. जिस कर्मचारी/आगंतुक व्यक्ति को जुखाम या खाँसी है तो उससे कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखें तथा यह जानकारी अपने आस पड़ोस व परिवार में भी सांझा करें।
6. आयुक्त, नगर निगम, रोहतक/सचिव, नगर पालिका, कलानौर/महम/सांपला तथा जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी उनके कार्यक्षेत्र में स्थित जन शौचालयों की सफाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ-2 इन शौचालयों में साबुन व सैनिटाईजर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा नियमित रूप से निगरानी करेंगे।
7. सिविल सर्जन, रोहतक सभी सरकारी भवनों यथा लघु सचिवालय, सिविल अस्पताल, पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में थर्मल स्कैनर लगवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिला में स्थित सभी निजी अस्पतालों में उक्त व्यवस्था का होना सुनिश्चित करेंगे।
8. केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयाध्यक्ष को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को उक्त हिदायतों की पालना करवाना सुनिश्चित करें।
9. अग्रणी बैंक प्रबन्धक सभी बैंकों में उक्त हिदायतों की पालना करवाना सुनिश्चित करें।

कृत:  उपायुक्त, रोहतक।




MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK
(A State University established under Haryana Act No. XXV of 1975)
'A+' Grade University Accredited by NAAC
General Administration Branch

Endst. No.Gen. Admn./G-V(Sani)/2020/ 1191-1291 Dated 17/3/2020

Sub:Regarding taking preventive measures to control the spread of COVID-19.

Copy of the mail received from the office of Deputy Commissioner, Rohtak along with the letter dated 16/03/2020 is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Deans/ Directors/ Heads of University Teaching Departments/Branch Officers, M.D. University, Rohtak.
2. Director, M. D. University- CPAS, Gurugram.
3. Principal, University Campus School, M.D. University, Rohtak
4. Director Public Relations, M.D. University, Rohtak.
5. Director, University Computer Centre Rohtak with the request to upload it on the University Website.
6. OSD to Registrar/Vice-Chancellor (for kind information of Registrar/Vice-Chancellor) M.D. University, Rohtak.
7. P.A, to Dean Academic Affairs/Controller of Examinations (for kind information of DAA/C.O.E.), M.D. University, Rohtak.


Dy. Registrar (Gen. Admn.)